महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या– 98 / 69–1–10–14(119) / 07टी0सी0

प्रेषक,

डा0 नवनीत सहगल
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2010

विषय : **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक *"शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण (स्टैप–अप)"* के कियान्वयन हेतु मार्ग–निर्देश एवं कार्यकारी योजना।**

महोदय,

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उक्त उपघटक का उद्देश्य शहरी गरीबों को कौशल निर्माण / उन्नयन हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है ताकि वे लाभप्रद स्वरोजगार स्थापित करने के साथ–साथ वेतनभोगी रोजगार प्राप्त करने के निमित्त अपनी क्षमता में वृद्धि कर सकें। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2009 से संशोधित नयी योजना एवं इसके उपघटक स्टैप–अप की प्रतियां आपको पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है। स्टैप–अप के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित मार्ग–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :–

(1) **स्टैप–अप की प्रमुख विशेषतायें**

इस उपयोजना का मूल उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार तथा क्षेत्रीय मांग के अनुरूप विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाना है ताकि वे अपना लाभप्रद रोजगार स्थापित कर सके तथा बेहतर वेतनभोगी रोजगार अर्जित कर आय का साधन सृजित कर सकें।

(2) **लाभार्थियों का चयन**

(i) स्टैप–अप उपयोजना के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा परिभाषित **"गरीबी रेखा के नीचे"** जीवन यापन करने वाली नगरीय जनसंख्या का प्रशिक्षणार्थ चयन किया जायेगा।

(ii) डूडा जनपदों द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कियान्वयन के लिये अर्बन पावर्टी प्रोफाइल हेतु कराये जा रहे सर्वेक्षण में योजना के उपघटक **"स्टैप–अप"** के लिये **लिबली हुड सर्वेक्षण** में प्रशिक्षण हेतु नगरीय क्षेत्रों / कस्बों की बी0पी0एल0 जनसंख्या एवं मलिन बस्तियों के निवासियों पर विशेष ध्यान दिया जाये। सर्वेक्षण में चिन्हित शहरी गरीबों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों के आलोक में उनकी शैक्षिक योग्यता एवं अभिरूचि इत्यादि के दृष्टिगत प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों के चयन, परामर्श व प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विचार–विमर्श आदि में परिवेशदल (एन0एच0जी0), परिवेश समितियां (एन0एच0सी0), सामुदायिक आयोजकों व सामुदायिक विकास समितियां (सी0डी0एस0) को भी भारत सरकार के योजना मार्ग–निर्देशों के अनुरूप सम्मिलित किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप नगरीय निर्धन प्रशिक्षितों को बाजार पर आधारित रोजगार व स्वरोजगार प्रारम्भ करने हेतु ऋण / अनुदान आदि प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

3. **लाभार्थियों का श्रेणीवार आरक्षण**

(i) लाभार्थियों में **महिलाओं का कम से कम 30 प्रतिशत** आच्छादन अनिवार्य होगा।

(ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियां/गरीबी रेखा से नीचे की शहरी/कस्बा जनसंख्या में न्यूनतम अपनी संख्या के अनुपात की मात्रा तक लाभान्वित की जायेगी।

(iii) प्रधानमंत्री जी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के दृष्टिगत प्रश्नगत योजना में अल्पसंख्यक समुदायों हेतु 15 प्रतिशत भौतिक व वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जायेगें।

(iv) भिन्न प्रकार की सशक्त योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण रखे जाने का सम्यक् प्रयास किया जायेगा।

4. **प्रशिक्षण हेतु ट्रेड्स**

स्थानीय संसाधनों एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण हेतु ट्रेड्स का चयन किया जाये। शहरी गरीबों को विभिन्न प्रकार की सेवा, व्यापार व उत्पादन गतिविधियों में कौशल निर्माण/उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त स्थानीय प्रचलित ट्रेड्स दस्तकारी आदि में प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। निर्माण क्षेत्र व इससे सम्बद्ध अन्य सेवायें यथा–प्लम्बिंग, विद्युत, बढ़ईगीरी इत्यादि में कम दरों पर उपलब्ध स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर उन्नत व अच्छी गुणवत्ता की कम लागत की भवन सामग्री को तैयार करने जैसे सेवा क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। वर्तमान में स्थानीय बाजार की मांग के आधार पर आई0टी0 से सम्बन्धित कौशल यथा–डाटा इन्ट्री, वेब डिजाइनर, आई0टी0 पर आधारित एकाउन्टिग आदि का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। मरम्मत एवं रख–रखाव के क्षेत्र में सेल फोन व्हाइट्स गुड्स, फ्रिज, एयर कन्डिसनर, टी0वी0, आटो आदि में प्रशिक्षण दिया जाना बाजार की मांग के अनुरूप उपयोगी होगा। किसी ख्याति प्राप्त संस्था से ब्यूटीशियन, सुरक्षा गार्ड आदि का प्रशिक्षण भी मांग के अनुसार उपयुक्त होगा। स्थानीय आवश्यकता/परिवेश/औचित्य के आलोक में स्थानीय स्तर पर उक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोगी आर्थिक गतिविधि/ट्रेड में भी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

5. **परिणामोन्मुखी प्रयोजनार्थ प्रशिक्षणार्थियों हेतु ट्रेड का चयन**

शैक्षिक योग्यता व अभिरूचि के अनुसार प्रशिक्षणार्थी को ट्रेड विशेष में जिसकी स्थानीय स्तर पर मांग व तत्सम्बन्धी स्वरोजगार/पारश्रमिक रोजगार के अवसर/उनके लिंक उपलब्ध हों, प्रशिक्षण हेतु चयनित किया जायेगा :

(i) **दसवीं पास** या अधिक शिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को उच्च तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ii) **आठवीं पास** प्रशिक्षणार्थी को कम तकनीकी कौशल वाली ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(iii) **आठवीं से कम पास** प्रशिक्षणार्थियों को उन ट्रेड में प्रशिक्षण दिलाया जायेगा, जिनमें सामान्यतः तकनीकी कौशल/दक्षता की आवश्यकता नहीं होती अथवा अत्यधिक कम होती है।

6. **प्रशिक्षण संस्थाओं का चयन**

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के संशोधित दिशा–निर्देशानुसार आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, औद्योगिक संगठनों, विख्यात इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक, आई0टी0आई0 प्रबन्ध संस्थाओं/श्रमिक विद्या पीठ आदि का चयन लीड प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में किया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सार्वजनिक–निजी–भागीदारी (पी0पी0पी0) माडल को प्रोत्साहित किया जाये, जिसमें कोई उच्च/ख्याति प्राप्त तकनीकी संस्थान/पहचान प्राप्त निजी प्रतिष्ठित संस्थान/उद्योग संघ शामिल हो सकता है। क्षेत्रीय उपलब्धता वाले निजी व्यावसायिक संगठनों का उनकी साख और गुणवत्ता के आधार पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु उपयोग किया जा सकता है। आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको), बिल्डिंग मेटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन कौंसिल (बी0एम0टी0सी0) द्वारा पोषित केन्द्रों की सेवाओं

का लाभ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है। प्रशिक्षणोपरान्त "सर्टीफिकेट" दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी ताकि प्रशिक्षित लाभार्थी स्वरोजगार अथवा वेतनभोगी रोजगार के लिये उसका उपयोग कर सके। यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षण की विषयवस्तु व प्रवीणता मानकों के विकास, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, स्वतंत्र आंकलन एवं प्रमाणन, प्रशिक्षण व अन्य तकनीकी समर्थन के लिये विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी तकनीकी संस्थानों (एल0टी0आई0) व आई0टी0आई0 आदि संस्थानों का विशेष सहयोग रहे ताकि उनके द्वारा संचालित "कौशल विकास पहल" आदि कार्यक्रमों अन्तर्गत वी0टी0पी0 (Vocational Tranning Providers) व प्रमाणन प्रकिया का भी लाभ मिल सके।

7. **प्रशिक्षण का आकार व अवधि**

(i) प्रशिक्षण कक्षा का आकार 40 से अधिक का नहीं होना चाहिये।

(ii) प्रशिक्षण अवधि ट्रेड के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। प्रशिक्षण की अवधि ट्रेड के अनुसार कम से कम दो माह व अधिकतम छः माह तक की हो सकती है।

8. **प्रशिक्षणार्थ अनुमन्य व्यय**

प्रशिक्षणार्थी प्रति लाभार्थी व्यय की अधिकतम सीमा रू0 10000/–है, जिसमें निम्न व्यय शामिल है:–

(i) प्रशिक्षण संस्थाओं पर व्यय।

(ii) प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री, स्टेशनरी, यंत्र आदि पर व्यय।

(iii) छात्रवृत्ति।

(iv) प्रशिक्षणोपरान्त टूल–किट्स।

उक्त सीमा तक विभिन्न मदों में व्यय का वर्गीकरण/मात्रा निर्धारण प्रशिक्षण की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर युक्तियुक्त ढंग से किया जा सकेगा/सुझावात्मक मात्राकरण मदवार इस प्रकार हो सकता है :–

(क) प्रशिक्षण संस्था पर व्यय

प्रशिक्षण संस्था को प्रति प्रशिक्षार्थी सामान्यतः रू0 2500/– तक उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रशिक्षण के ट्रेड व अवधि के अनुसार दर में परिवर्तन हो सकता है।

प्रशिक्षण संस्था पर व्यय की सीमा में वृद्धि इस उद्देश्य से की गई है कि विख्यात संस्थाओं का चयन प्रशिक्षण हेतु किया जा सके। अतः क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध विख्यात संस्थाओं का चयन किया जाये ताकि लाभार्थियों को स्वरोजगार अथवा वेतनभोगी रोजगार के दृष्टिगत उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण व प्रशिक्षणोपरान्त प्रमाणन प्राप्त हो सके।

(ख) प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री, स्टेशनरी, यंत्र आदि पर व्यय :

ट्रेड के अनुरूप आवश्यक सामग्रियों पर सामान्यतः रूपये 2000/–तक व्यय किया जा सकता है। कतिपय ट्रेड्स में प्रशिक्षण के लिये सामग्री स्टेशनरी व यन्त्र आदि की आवश्यकता नहीं होती। अस्तु ऐसे ट्रेड्स में इस मद में व्यय की आवश्यकता नहीं होगी। चयनित ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता के अनुसार यथोचित धनराशि का प्राविधान किया जाना चाहिए।

(ग) छात्रवृत्ति

सफल प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षित को सामान्यतः रू0 2500/– छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा सकेगा (जो प्रशिक्षण की अवधि के सापेक्ष रू0 400/–प्रतिमाह की दर से आगणित किया जायेगा)।

(घ) **प्रशिक्षणोपरान्त टूल–किट्स**

जिन ट्रेड्स में प्रशिक्षणोपरान्त टूल–किट दिया जाना स्वरोजगार के दृष्टिगत व्यावहारिक एवं उपयोगी हो, उनमें सामान्यतः रू0 3000/– की टूल–किट प्रशिक्षित लाभार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती है।

प्रशिक्षण हेतु अनुमन्य धनराशि कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षित को वेतनभोगी रोजगार सुनिश्चित करने (मजदूरी रोजगार के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण की दशा में) तथा शेष बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने (स्वरोजगार के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण की दशा में) हेतु प्राविधानित है। अतः शत–प्रतिशत प्रशिक्षितों के स्वरोजगार अथवा वेतनभोगी रोजगार हेतु कार्यवाही की जायेगी। प्रशिक्षणोपरान्त लाभान्वितों का स्वरोजगार अथवा वेतनभोगी रोजगार हेतु पर्यवेक्षण कर उसका पूरा ब्यौरा डूडा स्तर पर दर्ज किया जायेगा ताकि योजना के कियान्वयन का उसके परिणामों (आउट कम) का डाटा डूडा/सूडा स्तर पर उपलब्ध रहे।

(9) **सामान्य निर्देश**

(i) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सामुदायिक विकास एवं अधिकारिता पर आधारित/निर्भर होगी। टाप–डाउन कार्यान्वयन की पारंपरिक विधि के बजाय स्कीम सामुदायिक संगठनों, अवसंरचनाओं के गठन एवं पोषण पर निर्भर हो इसके लिये लक्षित क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों जैसे–परिवेशदलों (एन0एच0जी0), परिवेश समितियों (एन0एच0सी0) और सामुदायिक विकास सोसाइटियों का गठन, पुनर्नवीनीकरण, पंजीकरण, समय से सुनिश्चित कराते हुए डूडा द्वारा उन्हे सशक्त करना होगा।

(ii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना/उसके उपघटकों में लाभार्थी चयन पूर्ण पारदर्शिता व सम्बन्धित स्थानीय निकाय से समन्वय कर डूडा के शासी निकाय (जिसमें स्थानीय निकायों के अध्यक्ष भी सदस्य हैं) से अनुमोदन प्राप्त कर रोजगार सृजन व प्रशिक्षण की कार्यवाही की जाये। यही प्रकिया स्थानीय निकायों की सहभागिता व सहयोग सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्षेत्रों में भी अपनाई जाये।

(iii) लाभार्थी चयन प्रकिया में डूडा के शासी निकाय की बैठकों में श्रम विभाग/महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/विकलांग कल्याण विभाग/पंचायती राज विभाग एवं मानवाधिकार सम्बन्धी पहलुओं के दृष्टिगत पुलिस विभाग को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाये। साथ ही जिला उद्योग बन्धु, उद्योग परिसंघ, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, एड्स नियंत्रण सोसाइटी आदि के प्रतिनिधियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाये ताकि शहरी गरीबों को उनके कार्यक्रमों से सीधा लाभ भी समन्वय कर दिलाया जा सके व शहरी गरीबों का इन कार्यक्रमों में आच्छादन सूडा/डूडा स्तर पर सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) किसी विसंगति की दशा में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सम्बन्ध में जारी भारत सरकार के दिशा–निर्देश, मार्गदर्शी व अधिप्रभावी होगें जो उनकी वेब साइट–**http://mhupa.gov.in** पर उपलब्ध है।

(v) शहरी क्षेत्र में **बाल श्रम उन्मूलन** से सम्बन्धित श्रम विभाग द्वारा सर्वेक्षित परिवारों को भी प्रश्नगत कार्यक्रम का लाभ, स्वरोजगार प्रदान करने व प्रशिक्षण प्रदान करने में इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जायेगा कि ऐसे सर्वेक्षित परिवार योजनान्तर्गत लक्ष्य समूह/पात्रता श्रेणी में आते हों।

(vi) डूडा स्तर पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्रशिक्षणार्थी व स्वरोजगार के लाभार्थी जनपद स्तर पर किसी अन्य विभाग के रोजगार परक प्रशिक्षण/स्वरोजगार कार्यक्रम यथा–पी0एम0ई0जी0पी0/एस0आर0एस0एम0 एवं स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना आदि के अन्तर्गत लाभार्थी सूची में शामिल न हों। इसके लिये चयनित लाभार्थियों की सूची का ग्राम्य विकास/अन्यसंख्यक/पिछड़ा वर्ग कल्याण/समाज कल्याण/जिला उद्योग केन्द्र आदि से आदान–प्रदान कर उक्त कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी ताकि लाभार्थियों की **द्विरावृत्ति** न होने पायें।

(vii) 74वें संविधान संशोधन के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के दायित्व/कर्तव्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम/नगर निगम अधिनियम में परिभाषित हैं, जिनके आलोक में जनपदीय डूडा अपने माध्यम से, संचालित विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं सम्बन्धी अपने विशेष कृत्यों को शहरी निकायों से समन्वय कर पूर्ण पारदर्शिता व सहयोग से कार्यान्वित करेगें व स्थानीय निकायों को उनकी जानकारी देते रहेंगे। योजना/उपयोजना के किसी मिसिंग लिंक को पूरा करने हेतु नगरीय निकायों के आन्तरिक बजट में शहरी गरीबों हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत बजट (बी0एस0यू0पी0 शहरों हेतु बी0एस0यू0पी0 फण्ड) से सहयोग लेकर मिसिंग लिंक पूर्ण किये जायें ताकि नगर निकायों की डूडा के माध्यम से संचालित विशिष्ट योजनाओं/परियोजनाओं में सार्थक भूमिका रेखांकित हो सके।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **एस0जे0एस0आर0वाई0/ उपयोजना "स्टैप–अप"** के अन्तर्गत उपरिवर्णित निर्देशों के अनुसार कियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।

भवदीय,

(डा0 नवनीत सहगल)
सचिव।

संख्या–98(1)/69–1–10, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को अपने स्तर से भी शहरी निकायों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु।
3. निदेशक, सूडा को समस्त सम्बन्धितों को अपने स्तर से मार्ग–निर्देश भेजते हुए योजना/उपयोजना का सफल कियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु।
4. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
5. लेखानुभाग, सूडा मुख्यालय को उपयोगार्थ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 नवनीत सहगल)
सचिव।